समाहरणालय, कटिहार

आपदा प्रबंधन प्रशाखा

उदयन मिश्रा, भा०प्र०से०,
जिला पदाधिकारी, कटिहार
:- 06452-230581(O) 06452-230583(R)
:- +91-9473191375 फैक्स :- 06452230880
E-mail :- d m-katihar.bih@nic.in

–:: आदेश ::–

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–1742/आ०प्र० दिनांक–06.05.2021 के आलोक में **CFMS Order No. 570 दिनांक–06.05.2021** के द्वारा वर्त्तमान **वित्तीय वर्ष 2021–22** में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय **मुख्य शीर्ष–2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण** राहत, उपमुख्य **शीर्ष–02–बाढ़ चक्रवात, लघुशीर्ष–112–जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष–0002–NA**, विपत्र **कोड 39–2245021120002**, मांग संख्या 39, **विषय शीर्ष–35–01–नगद/वस्तुएँ** के अन्तर्गत, **Allotment ID-189992** द्वारा **मो० 40,00,000/– (चालीस लाख) रूपये** मात्र आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त आवंटन में से वर्तमान में **अंचलाधिकारी, आजमनगर को उनके नाम के सामने अंकित राशि** उपावंटित करते हुए निकासी करने की स्वीकृति दी जाती है।

निदेश दिया जाता है कि इस उपावंटित राशि का व्यय विभागीय **पत्रांक–1997/आ०प्र० दिनांक–18.05.2021** एवं अधोहस्ताक्षरी के **पत्रांक–467/आ०प्र० दिनांक 17.06.2020 तथा 251/आ०प्र० दिनांक–08.03.2021** के आलोक में **वर्ष 2020 के दौरान् जिलान्तर्गत हुए अतिवृष्टि से विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ने के फलस्वरूप आवागमन हेतु परिचालित किये गये सरकारी/निजी नाव के विरूद्ध निजी नाव भाड़ा एवं नाविकों के मजदूरी भुगतान/समायोजन हेतु निर्गत किया जा रहा है। नाविकों को भुगतान से पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश अभिलेखवार संधारित करना सुनिश्चित करेंगे।** उपावंटित राशि का व्यय उसी मद मे किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। **किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय।**

उपावंटित की गई राशि की निकासी **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को अचुक रूप से भेजना सुनिशिचित करेंगे।

यह भी निदेशित किया जाता है कि कोषागार से राशि की निकासी कर बैक खाते में नही रखेगें तथा व्यय नही होने की स्थिति में **दिनांक 15.03.2022** तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। यह आवंटन आदेश **वित्त विभाग के ज्ञापांक–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998** के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदा०/अंचलाधिकारी का नाम	विभाग से जिला को प्राप्त आवंटन	2245–02–112–0002–NA, जनसंख्या का निष्क्रमण (विषय शीर्ष–35– 01–नगद/वस्तुएँ) ईकाई मद में उपावंटित राशि			अभ्युक्ति
			पूर्व	वर्त्तमान	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंचलाधिकारी, आजमनगर	40,00,000/-	-	2,60,000.00	2,60,000.00	
		कुल योग	-	**2,60,000.00**	**2,60,000.00**	

मो० (दो लाख साठ हजार) रूपये मात्र।

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

E:\Rajat New Data\TB Das\Sub Allotment21-22.docx

ज्ञापांक....715..../आ०प्र० II – 30/2021, दिनांक....17/06/2021

प्रतिलिपि :– अंचलाधिकारी, आजमनगर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाहरणालय, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मेकर/चेकर, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

17/6/2021

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

E:\Rajat New Data\TB Das\Sub Allotment21-22.docx